भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1783
उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

सभी पात्र बच्चों का विद्यालयों में नामांकन

†1783. **श्री परषोतमभाई रुपाला:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने ग्रामीण शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है और सभी पात्र बच्चों को छात्र के रूप में नामांकित करने के लिए कोई अभियान शुरू किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) सभी दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सरकार की कार्य योजना क्या है;
(घ) सरकार द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों के पुनः नामांकन कराने अथवा कौशल उन्नयन द्वारा उन्हें कुशल कार्यबल में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) गुजरात राज्य के संदर्भ में इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा हेतु एक एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें पूर्व-प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक विभाजन रहित स्कूल शिक्षा को संपूर्ण रूप से लेती है और यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा सके।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार, वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं/प्राथमिकता के अनुसार तैयार की जाती हैं और इसे उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित किया जाता है। इसके बाद स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानकों, पूर्व में स्वीकृत कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलने/सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण, उर्जामय ग्राम कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल की अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, क्रमोन्नयन और संचालन, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, असंतृप्त अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, पात्रता के अनुसार निःशुल्क वर्दी और पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता तथा नामांकन एवं प्रतिधारण अभियानों सहित विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आयु-उपयुक्त प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय तथा गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा संबंधी सहायता भी स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) को औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए प्रदान की जाती है। साथ ही, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित 16-19 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन हेतु प्रति वर्ष 2000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अभिज्ञात स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चों (ओओएससी) के आंकड़ों को संकलित करने और उन्हें प्रबंध पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ जोड़ने हेतु एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा अपलोड की गई स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चों और एसटीसी की बाल-वार जानकारी को वैध किया जाता है।

व्यावसायिक शिक्षा: केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के कौशल शिक्षा घटक के अंतर्गत, कक्षा VI से VIII के विद्यार्थियों को कौशल शिक्षा के अवसर प्रदान करने तथा कक्षा IX से XII तक कौशल पाठ्यक्रम जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं, को शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा IX और X में कौशल मॉड्यूल छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा XI और XII में कौशल पाठ्यक्रम एक अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छात्रों को 10 बस्ता रहित दिवस और प्रशिक्षुता के कार्यान्वयन के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाता है। अब तक 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल विद्यार्थियों को 138 जॉब रोल्स (जेआर)/कौशल विषयों की पेशकश को अनुमति प्रदान की गई है।

प्रबंध पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, गुजरात के 29,180 स्कूल न जाने वाले बच्चों सहित वित्त वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक 7,04,561 स्कूल न जाने वाले बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

****